पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति -प्रधान सहायक-2018-19// 1025 // वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक //07 जून, 2019

-:: आदेश ::-

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1315/11-2012-30(5) / 2011 दिनांक 12-12-2012 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 मे दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक(वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) के पद पर चयन वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्र0सं0	ज्ये0क्र0	कर्मचारी का नाम / सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री /स्व0	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4	5
1	2260	रतन अभिषार	विक्रमादित्य सिंह	मुख्यालय
2	2261	अजय वर्मा	जितेन्द्र कुमार वर्मा	मुजफ्फरनगर
3	2262	बॉबी	मेमचन्द्र	मुजफ्फरनगर
4	2263	धर्मेन्द्र कुमार	ब्रम्हा सिंह	मुजफ्फरनगर
5	2264	महक सिंह	नाहर सिंह	मुजफ्फरनगर
6	2265	रामपाल सिंह	बलजीत सिंह	मुजफ्फरनगर
7	2266	बिमला	स्व0हरिहर प्रसाद	मेरठ
8	2267	दिनेश कुमार	स्व0रेवती प्रसाद	मेरठ
9	2268	चन्द्र पाल	रामसागर	गोण्डा
10	2270	सुधा कुमारी मिश्रा	सूर्य नरायन मिश्रा	लखनऊ

2- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 21-06-2019 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

4- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच / ई0 ओ0 डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।